भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2679

17.03.2025 को उत्तर के लिए

पीईटी पैकेजिंग बोतलों का अनिवार्य उपयोग

2679. श्री हैबी ईडन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेय पदार्थ निर्माताओं द्वारा पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) पैकेजिंग बोतलों में 30% पुनर्नवीनीकृत (रिसाइकिल्ड) प्लास्टिक सामग्री के अनिवार्य उपयोग से संबंधित 1 अप्रैल 2025 की अपनी समय सीमा को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी नीति तैयार करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त नीतिगत निर्णय लेते समय पेय पदार्थ निर्माताओं, पीईटी रेजिन के निर्यात, खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस नीति के परिणामस्वरूप लागत में संभावित वृद्धि से अंततः उपभोक्ताओं को नुकसान होगा क्योंकि ऐसी अतिरिक्त लागतें विनिर्माताओं के उत्पादों के मूल्य निर्धारण पर प्रतिबिंबित हो सकती हैं;

(ङ) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि ऐसी नीति के कार्यान्वयन के लिए देश में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा प्रमाणित पर्याप्त पुनर्चक्रण सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं; और

(च) क्या इस नीति के संबंध में पुनर्चक्रण संयंत्रों की स्थापना या पुनर्चक्रण संयंत्रों के साथ गठजोड़ के लिए कोई वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) संबंधी दिशानिर्देश अधिसूचित किए थे। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन:उपयोग और पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग संबंधी लक्ष्य अधिदेशित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में संधारणीय प्लास्टिक पैकेजिंग की दिशा में अग्रसर होने और प्लास्टिक फुट प्रिंट को कम करने का प्रावधान किया गया है। संबंधित उद्योग को इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के क्रम में, पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग संबंधी अनिवार्य लक्ष्यों को ईपीआर दिशा-निर्देशों की अधिसूचना जारी किए जाने के तीन वर्ष बाद अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू किया गया था।

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दिशानिर्देशों को, हितधारकों के साथ परामर्श की सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद अधिसूचित किया गया था। ईपीआर दिशा-निर्देशों में, सांविधिक अपेक्षाओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के संबंध में दायित्व को पूरा करना जिन मामलों में संभव नहीं है, उन पर कार्यवाही करने संबंधी कार्यतंत्र का पहले से ही प्रावधान है। ऐसे मामलों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट दी जाएगी। उद्योग/हितधारकों द्वारा उक्त नीति के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई जताए जाने के मामले में, मंत्रालय द्वारा उस पर विधिवत विचार करके यथोचित कार्रवाई की जाती है।

बाजार में प्लास्टिक पैकेजिंग को लाने वाले उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा ईपीआर के क्रियान्वयन के माध्यम से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन करने से बिखेरे गए और अप्रबंधित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी ईपीआर दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पुनर्चक्रण इकाइयों सहित अपशिष्ट प्रसंस्करण अवसंरचना का और अधिक विकास होगा। प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में केन्द्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, पोर्टल पर 2716 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता पंजीकृत हैं। वर्ष 2022 से लगभग 114 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया है।

*****